



DIGITAL
LIFE

प्रति,

दिनांक : 11/05/2022

श्रीमान वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल,

शयोपुर (म.प्र.)

विषय :- Permission to lay optical fiber cable on Khojipura-Bargawan route
total section length ROW applied for 45.00 Kms. (2.25 hec)
(Online Proposal No. FP/MP/OFC/149580/2021)

संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल शयोपुर का पत्र क्रमांक डी.एम./2022/4023

दिनांक 05.05.2022

निवेदन है कि जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामान्य वनमंडल शयोपुर के क्षेत्र में 12525.मी. लम्बाई (0.626 हेक्टेयर) वन भूमि में भूमिगत ओ.एफ.सी. केबिल डाली जाना प्रस्तावित है अतः संदर्भित स्वीकृति हेतु विन्दुवार पालन प्रतिवेदन एवं बचन पत्र प्रस्तुत है :-

क्रमांक	शर्तें	सहमति
1.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	पालन किया जावेगा
2.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति मान्य नहीं होगी।	पालन किया जावेगा
3.	वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही दी जा रही है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।	पालन किया जावेगा

State Address: 3rd Floor, DB City Mall, Arera Hills, MP Nagar Bhopal 462016 (MP)





DIGITAL
LIFE

4.	खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।	पालन किया जावेगा
5.	वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केवल विछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 0.60 से 0.70 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।	पालन किया जावेगा
6.	राज्य शासन के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2012 अनुसार प्रकरण में पंजीयन शुल्क रूपये 5000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 25000/- कुल रूपये 30000/- का ऑन लाईन चालान क्रमांक 051/9999999/0406/03/22/000172 दिनांक 24.03.2022 आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जा चुका है।	पालन किया जावेगा
7.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।	पालन किया जावेगा
8.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।	पालन किया जावेगा
9.	भविष्य में ओ.एफ.सी. केविल के रखरखाव की अनुमति वनमंडलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।	पालन किया जावेगा
10.	समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।	पालन किया जावेगा
11.	समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।	पालन किया जावेगा
12.	मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12.09.2008 अनुसार मार्ग के किनारे आर.ओ.डब्ल्यू के तहत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन विछाने हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यू से पूर्णतः छूट प्रदान की गई	पालन किया जावेगा


State Address: 3rd Floor, DB City Mall, Arera Hills, MP Nagar Bhopal 462016 (MP)





DIGITAL
LIFE

	है। किन्तु भविष्य में शासन द्वारा नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के संबंध में नये दिशा निर्देश प्राप्त होने पर भुगतान योग्य राशि जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देय होगी।	
13.	यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी।	पालन किया जावेगा
14.	आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र लिया जावेगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो आवेदक संस्था द्वारा शर्तों के पालन हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	पालन किया जावेगा
15.	उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जाएगी तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।	पालन किया जावेगा



जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड

State Address: 3rd Floor, DB City Mall, Arera Hills, MP Nagar Bhopal 462016 (MP)



DIGITAL
LIFE

बचन पत्र

जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामान्य वनमंडल श्योपुर के क्षेत्र में 12525.मी. लम्बाई (0.626 हेक्टेयर) वन भूमि मे भूमिगत ओ.एफ.सी. केबिल डाली जाना प्रस्तावित है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
2. राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के क्षेत्र में यह स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही दी जा रही है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।
4. खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।
5. वन भूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केवल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 0.60 से 0.70 मीटर गहरा तथा 0.50 मीटर चौड़ा से अधिक नहीं होगा।
6. राज्य शासन के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2012 अनुसार प्रकरण में पंजीयन शुल्क रूपये 5000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 25000/- कुल रूपये 30000/- का ऑन लाईन चालान क्रमांक 051/9999999/0406/03/22/000172 दिनांक 24.03.2022 आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया जा चुका है।
7. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।
8. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।

State Address: 3rd Floor, DB City Mall, Arera Hills, MP Nagar Bhopal 462016 (MP)





DIGITAL
LIFE

9. भविष्य में ओ.एफ.सी. केविल के रखरखाव की अनुमति वनमंडलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।
10. समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्टी से किया जावेगा।
11. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।
12. मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश कमांक/एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12.09.2008 अनुसार मार्ग के किनारे आर.ओ.डब्ल्यू. के तहत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यू से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। किन्तु भविष्य में शासन द्वारा नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के संबंध में नये दिशा निर्देश प्राप्त होने पर भुगतान योग्य राशि जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देय होगी।
13. यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से देय होगी।
14. आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र लिया जावेगा कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य, शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो आवेदक संस्था द्वारा शर्तों के पालन हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जाएगी तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।



जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड

State Address: 3rd Floor, DB City Mall, Arera Hills, MP Nagar Bhopal 462016 (MP)